



दिनांक 12/07/15

205

मातादीन पिता स्वर्गीय ईश्वरदीन यादव पेशा- खेती, निवासी ग्राम- देवगांव, तहसील-  
चितरंगी, जिला- सिंगरौली (म.प्र.)

आवेदक

बनाम

1. श्रीमती चौरी यादव पुत्री रामानंद यादव एवं पत्नी रामनाथ यादव पेशा- गृहकार्य,  
निवासी ग्राम- वेलहवा, थाना व तहसील- चितरंगी, जिला- सिंगरौली (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार  
चितरंगी राजस्व प्रकरण क्रमांक- 15/अ-74/  
2014-15 आदेश दिनांक- 31.07.2015 जिसके  
अनुसार ग्राम- देवगांव, तहसील- चितरंगी, जिला-  
सिंगरौली स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा  
नम्बरान् 281/0.26 है०, 282/0.14 है०, 346/  
0.24 है०, 348/0.80 है०, 349/1.38 है०, 485/  
0.37 है०, 537/0.46 है०, 682/0.27 है०, 683/  
0.28 है०, 692/0.06 है०, 693/1 रकवा 0.54  
है०, 701/0.30 है०, किता- 12 योग रकवा 4.70  
है० के बावत् दर्ज भूमिस्वामी मातादीन पिता  
ईश्वरदीन का नाम काटकर उसके स्थान पर  
चौरी पुत्री रामानंद पत्नी रामनाथ यादव के नाम  
दर्ज किये जाने तथा ग्राम- देवगांव, तहसील-  
चितरंगी, स्थित आराजियात 259/0.17 है०,  
285/0.65 है०, 286/0.24 है०, 382/0.17 है०,  
412/0.30 है०, 450/0.15 है०, 484/0.22 है०,  
486/0.08 है०, 87/0.08 है०, 489/0.06 है०,

O. P. Sharma  
18-8-2015

M

538/0.08 है0, 544/0.02 है0, 539/0.05 है0,  
607/0.29 है0, किता- 14 योग रकवा 2.60 है0  
के हिस्सा 1/2 के बावत् दर्ज भूमिस्वामी मातादीन  
पिता ईश्वरदीन का नाम काटकर अनावेदिका क्र0-  
1 चौरी पुत्री रामानंद एवं पत्नी रामनाथ यादव का  
नाम लिखे जाने का आदेश दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू- राजस्व  
संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है:-

1. यह कि आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार चितरंगी, जिला- सिंगरौली के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम- देवगांव, तहसील- चितरंगी, जिला- सिंगरौली स्थित आराजियात पुराना खसरा नम्बरान् 131/0.11 एकड़, 127/0.40 एकड़, 128/0.09 एकड़, 167/0.92 एकड़, 207/0.55 एकड़, 239/0.32 एकड़, 240/0.26 एकड़, 246/0.90 एकड़, 247/0.98 एकड़, 277/0.48 एकड़, 278/0.45 एकड़, 279/0.30 एकड़, 343/0.50 एकड़, 261/455 रकवा 0.02 है0, 262/452 रकवा 0.03 एकड़, तथा पुराना खसरा नंबर- 263/459 रकवा 0.02 एकड़, किता- 16 योग रकवा 6.33 एकड़ जिसका कि नया बन्दोबस्ती सर्वे नम्बरान् 259/0.17 है0, 285/0.65 है0, 286/0.24 है0, 382/0.17 है0, 412/0.30 है0, 450/0.15 है0, 484/0.22 है0, 486/0.08 है0, 87/0.08 है0, 489/0.06 है0, 538/0.08 है0, 544/0.02 है0, 539/0.05 है0, 607/0.29 है0, किता- 14 योग रकवा 2.60 है0 के हिस्सा 1/2 के भूमिस्वामी रामानन्द पिता अमृतलाल यादव थे तथा ग्राम- देवगांव, तहसील- चितरंगी, जिला- सिंगरौली स्थित आराजी पुराना खसरा नंबर- 407 रकवा 0.206 है0, 408 रकवा 0.243 है0, 248/2 रकवा 0.405 है0, 368/1 रकवा 0.809 है0, 416/2 रकवा 0.833 है0, 416/7 रकवा 1.214 है0, 168 रकवा 0.170 है0, 206/0.255 है0, 400 रकवा 0.429 है0, 401 रकवा 0.186 है0, 402 रकवा 0.162 है0, 403 रकवा 0.202 है0, 404 रकवा 0.180 है0,

भारतीय विधिक  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. 2674-II/15 ..... जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-6-17	<p>आवेदन क्रमांक - 1 दिल्ली पारसी उपना अगोर र बालाबल उपा अगोर। मुख्यी उपराज अगु. / रिमाई आग हो। दिनांक 25-9-17</p>	<p>नाट प्रेस 27-6-17</p>
27/6/17	<p>1- आवेदन क्रमांक 1 - दिल्ली पारसी उपना / अना. शासन की ओर से रिमाई रखनी शामल उपना।</p> <p>2- आवेदन क्रमांक 2 - रिमाई न्यायालय है कि पुनरा को आगे नहीं चलाया - चाले है अना. पुनरा न चलावे के कारण पुनरा नाट प्रेस - में समाप्त किया जाना है।</p>	<p>R.V.S 27/6/17</p>

M